बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(रबी 2019–20)

मार्च 2020 माह में दिनांक 4–6 एवं 13–15 मार्च को असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित जिला यथा पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बांका, मधेपुरा एवं किशनगंज में प्रभावित फसलों के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में रबी/गर्मा, 2020 के दिनांक 4–6 एवं 13–15 मार्च असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए प्रभावित किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित साहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया अनुदान देय है।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 जो किसान पूर्व से पंजिकृत नहीं हैं ऐसे किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट **http://www.krishi.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक **DBT in Agriculture** पर या **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर लॉग–ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी॰बी॰टी॰ पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।

2.3 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे "मार्च 2020 में 4–6 एवं 13–15 मार्च को अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना" https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.4 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

2.5 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।**

ऑनलाईन आवेदन की सुविधा :

- किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से डी॰बी॰टी॰ पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
- **कृषि इनपुट अनुदान** हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र है–
  - किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते है– निःशुल्क।
  - प्रखंड स्थित ई– किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  - कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
  - अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते है।

3. ऑनलाईन पंजीकरण की विधि :

3.1 वैसे किसान, जिनका मोबाईल संख्या आधार से जुड़ा हो, वे घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन पंजीकरण कर, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा किसान, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से भी सम्पर्क कर निःशुल्क ऑनलाईन पंजीकरण कराने के साथ–साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.2 वैसे किसान, जो dbtagriculture.bihar.gov.in पर पूर्व से पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसान, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, वे ऑनलाईन पंजीकरण के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध **"पंजीकरण"** मेनू पर क्लिक कर **"पंजीकरण करें"** मेनू का चयन करेंगे।

3.3 ऑनलाईन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना मोबाईल नम्बर, आधार संख्या और **आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है।** पंजीकरण के समय किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का विवरण (थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा आदि) लाना अनिवार्य होगा।

3.4 कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन के ऑपरेटर, आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार ही आवेदन में किसान का नाम और किसान के पिता/पति का नाम भरेंगे।

3.5 किसान से आधार संख्या के उपलब्धता की जानकारी हाँ/नहीं में ली जाएगी। आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेबसाइट, किसान को उनके नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। आधार संख्या के उपलब्धता की स्थिति में किसान को अपना आधार संख्या अंकित करना होगा।

3.6 किसान का आधार सत्यापन तीन तरीके से किया जाएगा। वैसे किसान, जो घर से स्वयं पंजीकरण कर रहे हैं, उनका सत्यापन उनके मोबाईल पर भेजे गए ओ०टी०पी० के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 12 अंकों का आधार संख्या की प्रविष्टि

करनी होगी। सहज/कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पंजीकरण कराने की स्थिति में सत्यापन बायोमेट्रिक अथवा IRIS (आयरिश) डिवाईस के माध्यम से किया जाएगा।

3.7 सत्यापन सही होने की स्थिति में पंजीकरण के लिए प्रदर्शित अनिवार्य वांछित प्रविष्टियों में किसान की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड में अंकित किसान का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, कृषक श्रेणी (वृहत/लघु/अन्य में से कोई एक), जाति प्रकार (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक में से कोई एक), जिला/प्रखंड/पंचायत/गाँव का नाम, अपना मोबाईल संख्या और बैंक विवरणी (बैंक/शाखा का नाम और आई०एफ०एस०सी० कोड) प्रविष्ट करेंगे। ध्यान रहे कि बैंक विवरणी आधार से जुड़ा हो अन्यथा अनुदान की राशि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी।

3.8 अनिवार्य जानकारी प्रविष्टि करने के उपरांत किसान **सबमिट बटन** पर क्लिक करेंगे। **सबमिट बटन** क्लिक करते ही किसान के मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से ओ०टी०पी० भेजा जाएगा, जिसे किसान अपने पंजीकरण आवेदन में प्रविष्ट कर **रजिस्टर बटन** पर क्लिक करेंगे।

3.9 ओ०टी०पी० सही होने की स्थिति में किसान के मोबाईल पर पंजीकरण सक्सेस के साथ 13 अंकों की पंजीकरण संख्या एस०एम०एस० के माध्यम से भेजा जाएगा।

4. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

4.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **'' मार्च 2020 में 4–6 एवं 13–15 मार्च को अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना''** मेनू पर क्लिक करेंगे।

4.2 **मार्च 2020 में 4–6 एवं 13–15 मार्च को अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अन्तर्गत अनुदान के आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **''डिस्प्ले''** किया जाएगा।

4.3 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से ऑनलाईन **मार्च 2020 में 4–6 एवं 13–15 मार्च को अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4.4 **मार्च 2020 में 4–6 एवं 13–15 मार्च को अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** हेतु आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अधिकत्तम 2 हेक्टेयर के लिए मान्य होगा।

4.5 **किसान को तीन श्रेणियों** (स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का मालिक हो या खेतिहर। इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा दिया जायेगा, कि उनके द्वारा जाँच कर लिया गया है।

4.5.1 **"स्वयं भूधारी"** की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे।

4.5.2 **"वास्तविक खेतिहर"** किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर सहित सत्यापित दस्तावेज अपलोड करेंगे।

4.5.3 **''स्वयं भूधारी''** + वास्तविक खेतिहर'' किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और वास्तविक खेतिहर के लिए खेसरा नंबर,

असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और साथ–ही–साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

4.5.4 वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें ''वास्तविक खेतिहर'' के रूप में प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की व्यवस्था होगी। यह कार्य जाँच के क्रम में कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी।

4.5.5 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

4.6 किसान द्वारा दिये गए कुल प्रभावित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

4.7 अनिवार्य जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत किसान आवेदन में नीचे दिये गए शपथ–पत्र का चयन करेंगे और **''नेक्स्ट बटन''** पर क्लिक करेंगे। किसान के सामने एक नया जाँच पेज खुलेगा। यदि किसान ने अनिवार्य दस्तावेज अपलोड किया है तो जाँच पेज पर उपलब्ध बटन हरे रंग में दिखाई देगा और किसान जाँच की पुष्टि कर **"अंतिम सबमिट"** बटन पर क्लिक करेंगे अन्यथा जाँच बटन काले रंग में दिखाई देगा, जो यह संकेत देगा कि अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है और आवेदन पूर्ण नहीं है। **"अंतिम सबमिट बटन"** पर क्लिक करते ही किसान को एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाईल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाईन भेज दिया जाएगा।

4.8 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल तथा 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल) ।**

4.9 किसान **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

4.10 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

4.11 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

5. आवेदन की स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

5.1 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक 20 दिनों के अंदर आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। कृषि समन्वयक प्रभावित प्लॉट(सर्वे नम्बर) में किसान को खड़ा कर फोटो लेंगे तथा जाँचोपरान्त उसे अपलोड करेंगे।

कृषि समन्वयक के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थल जाँच कर स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन के निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(i) आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है।

(ii) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकवा सही है।

(iii) आवेदक द्वारा वास्तव में फसल लगाई गयी थी और अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि 33% से ज्यादा क्षति हुई है। साथ हीं यह संतुष्ट हो लें कि क्षतिग्रस्त फसल पुनर्जीवित नहीं हो सकती और यह क्षति मार्च माह की 4–6 एवं 13–15 मार्च की अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से हीं हुई है।

(iv) वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित खेत के चौहद्दीदारों से पूछ–ताछ करें।

(v) किसान वास्तविक खेतिहर होने संबंधी सत्यापन विहित प्रपत्र में कृषि समन्वयक/सलाहकार एवं वार्ड सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से निर्गत करने की व्यवस्था कृषि समन्वयक सुनिश्चित करेंगे।

5.1.1 भूमि से संबंधित कागजात (रैयत के मामले में)।

5.1.2 यह संतुष्ट हो लें कि भूमि के मालिक या वास्तविक खेतिहर दोनों में से किसी एक ने हीं आवेदन किया है।

5.1.3 स्थल पर आवेदक के साथ छायाचित्र।

5.2 कृषि समन्वयकों द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

5.3 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 20 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

5.4 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 7 कार्यदिवस के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी, द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को करेंगे। अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य अपने स्तर से आवश्यक जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदन को भुगतान हेतु राज्य स्तर पर भेजेंगे।

5.5 अगर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

5.6 अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

5.7 अगर अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर आवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित हो जायेगा।

5.8 चिन्हित प्रखंडों के पंचायत में कैम्प लगाकर प्राप्त आवेदनों एवं अन्य सम्बन्धित कागजातों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त किसानों के खाते में राशि का अंतरण किये जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

5.9 किसानों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान हेतु आवेदन सीधे अग्रसारित होने की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

5.10 ऐसे सभी असत्यापित आवेदन पत्रों की जाँच भुगतान के उपरान्त निश्चित रूप से 15 दिनों के अंदर करा ली जायेगी तथा जाँच के क्रम में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर कार्रवाई एवं उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

5.11 त्रुटिपूर्ण भुगतान, दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

5.12 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।

5.13 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय–समय पर किसानों को ऑन–लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

5.14 स्थल जाँच के क्रम में किसानों को प्रेरित करने की कार्रवाई करें कि फसल कटनी के बाद पुआल को खेत में न जलायें। इससे होने वाले नुकसान की जानकारी किसानों को देकर जागरूक करायें। किसी भी किसान के द्वारा अपने खेत में पुआल जलाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे किसान कृषि इनपुट अनुदान के तहत लाभ देने वंचित रखें यानि ऐसे किसान के आवेदन को स्पष्ट कारण बताते हुये अस्वीकृत करने की कार्रवाई करें।

6. अनुश्रवण :

6.1 योजना के अनुश्रवण की जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी की होगी जो साप्ताहिक लम्बित आवेदनों की जाँच एवं योजना की समीक्षा करेंगे।

6.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित की गई अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति प्रभावित क्षेत्रों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी एवं लाभार्थियों की सूची पारित करेगी।

6.3 जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक यथासम्भव प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाएगी।

6.3.1 संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 7% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.3 संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.4 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.5 संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.6 संबंधित जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.7 संबंधित संयुक्त निदेशक(शष्य) प्रमंडल द्वारा प्रत्येक जिले का 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.8 निदेशक, कृषि द्वारा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर जाँच दल गठन कर अनुश्रवण किया जाएगा।

6.3.9 योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग नोडल पदाधिकारी होंगे।

किसान भाईयों/बहनों से अनुरोध है कि सरकार की इस महत्त्वकाँक्षी योजना का लाभ उठायें